फर्द अहकाम

सुनिल बनाम अनिल

यालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

ाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 75/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28.05.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पाबन्द नहीं किया गया तो इस प्रार्थना पत्र का उद्देश्य विफल हो जाऐगा अतः अप्रार्थीगणो को बिना आवेदन की सूचना दिए एक पक्षीय सुनवायी का व्यादेश जारी किया जावे। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला अर्जेन्ट प्रकृति का प्रतीत होता है अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 32, 33 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3225 हैक्टेयर स्थित ग्राम रामरखपुरा प.ह. काशीपुरा भू.अ.नि. देवगांव तह. तूंगा जिला जयपुर में अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.06.2024 तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस आदेश की प्रति के साथ इस प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र की प्रति वादपत्र की प्रति एवं सभी दस्तावेजों की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्र के अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी हो। इस आशय का प्रार्थी आज ही शपथ पत्र पेश करे। पत्रावली पुनः दिनांक 25.06.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण	
25/06/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी हेतु दिनांक 05/8/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
5/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 10 के लिए	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		मूलवाद में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अत: अस्था. प्रा.पत्र में भी अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करने एवं वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरांत विवादित आराजी ख.नं. 32, 33 कुल किता 2 स्थित ग्राम रामरखपुरा प.ह. काशीपुरा भू-अभि.नि. देवगांव तह. तूंगा जिला जयपुर में उभयपक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त आराजी भूमि पर ताफैसला वाद के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)